न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:–अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
71/2023	18.07.2023	23.09.2024

1. देवराज सिंह पुत्र गजराज सिंह उर्फ चन्द्रवीर सिंह जाति राजपूत निवासी खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर
2. गजराज सिंह राजावत पुत्र श्री तेजसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
सत्यमेव जयते

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित:–

1. श्री रघुनन्दन सिंह राजावत वादी की और से।
2. श्री तपेश जैन एड0 प्रतिवादी संख्या 2 की और से

:– निर्णय –:

वादी ने जरिये वकील एक वाद पत्र घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 पिता व पुत्र है जो कि ग्राम खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर का निवासी है। वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 427 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.38 है0 खसरा नम्बर 432 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खरीद की थी जिसमें उस समय वादी का नाम देवराज भंवर व पिता का नाम तत्समय घर में सम्बोधित नाम चन्द्रवीर सिंह दर्ज [illegible] गया। जबकि वादी का पिता का शैक्षणिक दस्तावेजो में नाम गजराज सिंह था जो [illegible] रिकार्ड में वादी का नाम देवराज भंवर व पिता का नाम चन्द्रवीर सिंह चला आ रह[illegible], जबकि वादी के शै[illegible] आधार कार्ड व वोटर आईडी आदि में देवराज सिंह राजावत पुत्र गजराज सिंह राजावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:59:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

र्ज है। वादी बैक मे केसीसी लेने हेतु व सरकारी अनुदान योजना में आवेदन करने हेतु कल जमाबंदी व अन्य दस्तावेज लेकर बैंक व ईमित्र पर जमाबदी ली जो उसमें नाम भेन्न होने के कारण फार्म ऑनलाईन नही हो सका। पटवारी हल्का के पास जाने पर उन्होने बताया कि यह दुरूस्ती कोर्ट में ही हो सकती है जिसके कारण उक्त दावा पेश करना लाजिमी हुआ है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.07 हैक्0, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.38 हैक्0 खसरा नम्बर 432 रकबा 0.77 हैक्0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.15 हैक्0 वाके ग्राम खिजुरी में हाल राजस्व रिकार्ड में देवराज भंवर पुत्र चन्द्रवीर सिंह के स्थान पर देवराज सिंह राजावत पुत्र गजराजसिंह राजावत दर्ज करने की घोषणा फरमायी जावे और इसी मुताविक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकन करते हुऐ जैर दुरूस्ती फरमायी जावें।

प्रकरण में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 जरिये वकील उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया तथा विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादपत्र में दर्ज आराजीयात वादी के नाबालिग उम्र के समय मुझ प्रतिवादी द्वारा खरीदी गयी थी उस समय वादी का नाम देवराज भंवर था तथा मुझ प्रतिवादी को तत्समय घर में चन्द्रवीर सिंह कहते थे, सो गजराज सिंह के नाम के बजाय चन्द्रवीर सिंह दर्ज करवा दिया था तथा वादी बाबा की मौजूदगी में जन्म हुआ था इसलिए भंवर सम्बन्धित किया जाता था, सो वादी का नाम देवराज भंवर दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का समस्त शैक्षणिक दस्तावेज व आधार, जनआधार कार्ड में देवराज सिंह है तथा मुझ प्रतिवादी का शैक्षणिक दस्तावेज व आधार कार्ड आदि दस्तावेज में गजराज सिंह नाम से हैं। वादी का व मुझ प्रतिवादी का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किए जाने में किसी प्रकार कि मुझ प्रतिवादी को आपत्ति नही है और ना ही उक्त नाम का ग्राम खिजूरी मे कोई अन्य व्यक्ति नही है, उक्त आराजी पर खरीद के समय से प्रतिवादी का और अब वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाये जाने में मुझ प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 132 के खसरा नम्बर 427 रकबा 0.07 हैक्0, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.38 हैक्0 खसरा नम्बर 432 रकबा 0.77 हैक्0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.15 हैक्0 कुल किता 4 रकबा 1.37 हैक् पर देवराज भंवर पुत्र चन्द्रवीर सिंह राजपूत सा0देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Si
Date: 2025.09.10 13:59:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

क्त खसरा नम्बरान पर खातेदार का ही कब्जा काश्त है। वादी देवराज सिंह पुत्र गजराज सिंह कोम राजपूत व खातेदारी देवराज भंवर पुत्र चन्द्रवीर सिंह कोम राजपूत एक ही व्यक्ति है।

वकील वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1 पेश किया जिस पर बयान अंकित करवाये " जमाबंदी सम्बत 2076–79 प्रदर्श–1 है। प्रदर्श–2 अ मेरा आधार कार्ड एवं प्रदर्श 3 अ मेरे पिताजी का आधार कार्ड है जिसकी फोटा प्रति पत्रावली में सलग्न है। आज मै असल आधार कार्ड साथ में लाया हुँ। जो अक्सर काम आते रहते है जिन्हे अवलोकन कर लोटाया जावें। मेरा पुरा नाम देवराज सिंह पुत्र गजराज सिंह है। मै मेरे बाबा के जीवनकाल मे पैदा हुआ था, इसलिए मेरे नाम के आगे भंवर लगा दिया गया तथा मेरे पिताजी गजराज सिंह को चंद्रवीर सिंह भी कहते थें। इसलिए जमाबंदी में यही नाम चला आ रहा था जबकि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो में मेरा नाम देवराज सिंह पुत्र गजराज सिंह है। गजराज सिंह एवं चन्द्रवीर सिंह एक ही व्यक्ति है।"

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया कि राजस्व ग्राम खिजूरी में खसरा नम्बर 427 रकबा 0.07 हैक्0, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.38 हैक्0 खसरा नम्बर 432 रकबा 0.77 हैक्0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.15 हैक्0 की खातेदारी भूमि स्थिति है। उस पर वादी का कब्जा काश्त है। उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खरीद की थी जिसमें उस समय वादी का नाम देवराज भंवर व पिता का नाम तत्समय घर में सम्बोधित नाम चन्द्रवीर सिंह दर्ज करवा दिया गया। जबकि वादी का पिता का शैक्षणिक दस्तावेजो में नाम गजराज सिंह था जो राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम देवराज भंवर व पिता का नाम चन्द्रवीर सिंह चला आ रहा है, जबकि वादी के शैक्षणिक आधार कार्ड व वोटर आईडी आदि में देवराज सिंह राजावत पुत्र गजराज सिंह राजावत दर्ज है। अतः वादी का नाम शुद्ध किये जाने की कृपा करें।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी वकील की बहस में सहमति व्यक्त की तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट एवं अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब [illegible] सार वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:59:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण वादी ने अपने नाम राजस्व ग्राम खिजूरी में दर्ज कि जमाबंदी सम्बत 2076–79 के खाता संख्या 132 के खसरा नम्बर 427 रकबा 0.07 हैक्0, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.38 हैक्0 खसरा नम्बर 432 रकबा 0.77 हैक्0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.15 हैक्0 कुल किता 4 रकबा 1.37 हैक्0 में अपना नाम देवराज भंवर पुत्र चन्द्रवीर

उप जिला कलेक्टर

सिंह अंकित हो गया है जिसको शुद्व करवाने हेतु पेश किया है। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बरान पर खातेदार का ही कब्जा काश्त है। वादी देवराज सिंह पुत्र गजराज सिंह कोम राजपूत व खातेदारी देवराज भंवर पुत्र चन्द्रवीर सिंह कोम राजपूत एक ही व्यक्ति है। अतः उक्त तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:–कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन, तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि राजस्व ग्राम खिजुरी में दर्ज जमाबंदी सम्बत 2076–79 के खाता संख्या 132 के खसरा नम्बर 427 रकबा 0.07 हैक्0, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.38 हैक्0 खसरा नम्बर 432 रकबा 0.77 हैक्0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.15 हैक्0 कुल किता 4 रकबा 1.37 हैक्0 में खातेदार देवराज भंवर पुत्र चन्द्रवीर सिंह के स्थान पर देवराज सिंह पुत्र गजराजसिंह वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तूर यथावत रहेगा। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करे। तदनानुसार डिकी जारी की जावें। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अ... सिंह कुन्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:59:30 IST
Reason: SelfAttested

वाद सं. 71/2023

देवराज सिंह बनाम गजराज सिंह एवं अन्य

डिक्री: दस्ता

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान सवाई माधोपुर

1 देवराज सिंह पुत्र गजराज सिंह उर्फ चन्द्रवीर सिंह जाति राजपूत निवासी खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर	**बनाम**	1 तहसीलदार तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर 2 गजराज सिंह राजावत पुत्र श्री तेजसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा 71/2023 सन 2023

वाद पत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

वादी की ओर से श्री रघुनन्द सिंह राजावत एड0 और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री तपेश जैन एड0 की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 23.09.2024 को अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि उक्त विवेचन, तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट एवं तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि राजस्व ग्राम खिजुरी मे दर्ज जमाबंदी सम्बत 2076–79 के खाता संख्या 132 के खसरा नम्बर 427 रकबा 0.07 हैक0, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.38 हैक0 खसरा नम्बर 432 रकबा 0.77 हैक0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.15 हैक0 कुल किता 4 रकबा 1.37 हैक0 मे खातेदार देवराज भंवर पुत्र चन्द्रवीर सिंह के स्थान पर देवराज सिंह पुत्र गजराजसिंह वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तूर यथावत रहेगा। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करे।

इस वाद के खर्च लेखे X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 23.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02.00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	02.00	
3	प्रदर्शक लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	[illegible]	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00.00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7	आदेशिका की तामील	03	00			
	जोड	07.00	00	जोड	04.00	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.10 13:59:30 IS
Reason: SelfAttested